# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

सरकार जरिये महानिरीक्षक कारागार, महानिदेशालय कारागार, जयपुर – प्रार्थी

बनाम

1. श्री हरी प्रसाद बैरवा पुत्र श्री घसीड्या जाति बैरवा उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम बरदाला, तहसील नादौती जिला करौली
2. श्री गजराज मीना पुत्र श्री मिश्रीलाल मीना, जाति मीना, उम्र 62 वर्ष निवासी ग्राम बरदाला, तहसील नादौती जिला करौली

– जमानतीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 446 सी.आर.पी.सी.

## निर्णय

दिनांक–24.02.2021

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर ने पत्र क्रमांक–बं.शा./भरतपुर/35/2015/60711–15 दिनांक 13.01.2020 प्रेषित कर निवेदन किया है कि दण्डित बंदी सोहनलाल पुत्र रंगलाल, जाति बैरवा निवासी बरदाला, पुलिस थाना नादौती, जिला करौली को जिला पैरोल परामर्शदात्री समिति करौली के आदेश अनुसार दिनांक 04.11.2019 को 30 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 03.12.2019 को जेल दाखिल होने (केन्द्रीय कारागृह भरतपुर) हेतु पाबंद किया गया था, किन्तु उक्त बंदी बाद पैरोल उपभोग जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। उक्त प्रकरण में जमानतीगण की जमानत जब्ती की कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है।

उक्त बंदी सोहनलाल पुत्र रंगलाल, जाति बैरवा निवासी बरदाला, पुलिस थाना नादौती, जिला करौली को जिला पैरोल परामर्शदात्री समिति, करौली की बैठक दिनांक 19.09.2019 में 50000/– 50000/– रुपये की दो तस्दीकशुदा जमानत व 100000/– रुपये के निजी मुचलका पेश करने की शर्त पर 30 दिवस की पैरोल स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया था। उक्त निर्णय की पालना में बंदी की ओर से श्री हरी प्रसाद बैरवा पुत्र श्री घसीड्या जाति बैरवा उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम बरदाला, तहसील नादौती जिला करौली एवं श्री गजराज मीना पुत्र श्री मिश्रीलाल मीना, जाति मीना, उम्र 62 वर्ष निवासी ग्राम बरदाला, तहसील नादौती जिला करौली द्वारा 50000/– 50000/– रुपये की दो तस्दीकशुदा जमानत पेश की गई थी एवं बंदी द्वारा 100000/– रुपये का जमानत मुचलका पेश किया गया था। उक्त जमानत व मुचलका पेश करने पर बंदी को दिनांक 04.11.19 से दिनांक 03.12.2019 तक 30 दिवस की नियमित पैरोल पर रिहा किया गया था, जो बाद पैरोल उपभोग दिनांक 03.12.2019 को जेल दाखिल न होकर पैरोल से फरार हो गया।

महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर के उक्त पत्रांक पर जमानतीगण श्री हरी प्रसाद बैरवा पुत्र श्री घसीड्या जाति बैरवा उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम बरदाला, तहसील नादौती जिला करौली एवं श्री गजराज मीना पुत्र श्री मिश्रीलाल मीना, जाति मीना, उम्र 62 वर्ष निवासी ग्राम बरदाला, तहसील नादौती जिला करौली के द्वारा प्रस्तुत तस्दीक जमानत दिनांक 24.10.2019 जब्त करने हेतु धारा 446 सी.आर.पी.सी. के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर जमानतीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

जिला कलक्टर
करौली

जमानतीगण को दिनांक 24.08.2020, 07.09.2020, 26.10.2020, 28.10.2020, 23.11.2020, 22.02.2021 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद जमानतीगण इस न्यायालय में उपस्थित नहीं आये और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। अतः जमानतीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

जमानतीगण की चल अचल सम्पत्ति की सूचना तहसीलदार, तहसील नादौती से प्राप्त की गई। तहसीलदार, तहसील नादौती ने पत्रांक–एल.आर. / 2020 / 2258 दिनांक 23.09.2020 से अवगत कराया है कि श्री हरी प्रसाद बैरवा पुत्र श्री घसीड्या जाति बैरवा उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम बरदाला, तहसील नादौती जिला करौली के नाम पटवार मण्डल बरदाला ए की जमाबंदी संवत् 2074–77 के खाता संख्या 544 पर कुल रकबा 0.92 हैक्टेयर एवं पटवार मण्डल बरदाला बी की जमाबंदी संवत् 2076–79 के खाता संख्या 68 पर कुल रकबा 1.83 हैक्टेयर खातेदारी भूमि दर्ज है एवं एक रिहायशी पक्का मकान है। श्री गजराज मीना पुत्र श्री मिश्रीलाल मीना, जाति मीना, उम्र 62 वर्ष निवासी ग्राम बरदाला, तहसील नादौती जिला करौली के नाम पटवार मण्डल बरदाला ए की जमाबंदी संवत् 2074–77 के खाता संख्या 68 पर 0.53 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 73 पर 3.79 हैक्टेयर खातेदारी भूमि दर्ज है एवं एक रिहायशी पक्का मकान है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। जमानतीगण द्वारा जमानत राशि जमा राजकोष नहीं कराई गई है तथा बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद इस न्यायालय में उपस्थित नहीं आये और ना ही अपना पक्ष रखा गया है।

अतः जमानती श्री हरी प्रसाद बैरवा पुत्र श्री घसीड्या जाति बैरवा उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम बरदाला, तहसील नादौती जिला करौली की मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड पटवार मण्डल बरदाला ए की जमाबंदी संवत् 2074–77 के खाता संख्या 544 पर कुल रकबा 0.92 हैक्टेयर एवं पटवार मण्डल बरदाला बी की जमाबंदी संवत् 2076–79 के खाता संख्या 68 पर कुल रकबा 1.83 हैक्टेयर कुल रकबा 2.75 हैक्टेयर में से जमानत राशि 50000 / – रुपये की मूल्य सीमा तक तथा जमानती श्री गजराज मीना पुत्र श्री मिश्रीलाल मीना, जाति मीना, उम्र 62 वर्ष निवासी ग्राम बरदाला, तहसील नादौती जिला करौली की पटवार मण्डल बरदाला ए की जमाबंदी संवत् 2074–77 के खाता संख्या 68 पर 0.53 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 73 पर 3.79 हैक्टेयर कुल रकबा 4.32 हैक्टेयर में से जमानत राशि 50000 / – रुपये की मूल्य सीमा तक दोनों जमानतीगण की भूमि को कुर्क व विक्रय करने के आदेश उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड नादौती, जिला करौली को दिये जाते हैं। जमानतीगण की सम्पत्ति से वसूली योग्य राशि की सीमा से अधिक वसूली राशि प्राप्त होने पर संबंधित जमानतीगण को लौटा दी जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर, पुलिस अधीक्षक करौली, उपखण्ड अधिकारी नादौती, अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह भरतपुर, उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग करौली को भिजवाई जावे। प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग, कलेक्ट्रेट, करौली की पत्रावली मय मूल निर्णय प्रति वापस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर,
करौली